32 (79) ३५

फार्म जे. आई.

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या एफ ७(२२)रा.क-६६ दिनांक १०-२-६६, जन

चूंकि विज्ञप्ति संख्या २४८४ फोरेस्ट ५९/५० दिनांक १४-७-५० द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अब उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दि. १०-२-[illegible] से प्रभाव में रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है ओर इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव उक्त परिशिष्ट सूची (२) में उल्लेखित सीमा के तथा परिशिष्ट सूची (१) में उल्लेखित सीमातक अधिकार रखते रहेंगे व जो राज्य सरकार समय समय पर जारी करे ऐसे नियमों के अधीन ऐसे मौसम में उक्त वनों में ऐसे मार्गों द्वारा [illegible] रियायतों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजस्व शासन सचिव,

SD

भूमि का विवरण राजस्थान सरकार जयपुर

जिला	तहसील	पट्टी या वन खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	सराडा	मनियोल	अदवास	२५६४-००	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (क) संलग्न है।
			पन्दजी का गुढा	- - - -	
			झाडियाना	७७३-८४	
			नादवी	४८-५३	
			पीलाधर	१३४४-११	
			गामडी	१६४-६९	
			महुडी	१३२५-१२	
			दमाणा	१-४७	
			जामबुडा	८४७-३६	
			धातोड़	१३१२-३५	
			अनलोदे	२९९४-७२	
			योग:-	११३४६-१९ एकड़	

[illegible]

हस्ताक्षर
[illegible] मुख्य वन संरक्षक
[illegible]

नोट:- राजस्थान राजपत्र दि. ५-१२-६६ में प्रकाशित हुवा है।

जयपुर, फरवरी १०, १९६६

संख्या एफ. ७ (२१) रा० क०/६६: — चूंकि विज्ञप्ति संख्या २५८५-फोरेस्ट १९५०, दिनांक १४-७-५० द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों, निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रवास की गई समस्त भूमियां यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक १०-२-६६ से प्रभाव में रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गांव अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लिखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूची (२) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसमों में उक्त वन के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें रियायतों का उपभोग करेंगे।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६ (रकबा हैक्टर)
उदयपुर	सराड़ा	मनियोल	अदवास 1028.93	२५१४-०० (1037.3)	सीमा रेखा का विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
			झड़ियाना 294.57	७१३-८८ – (296.9)	
			तादवी 19.47	४८-५३ – (19.9)	
			पीलादर 543.40	१३५४-११ – (547.87)	
			नामड़ी 66.03	१६९-६४ – (92.28)	
			महुड़ 531.77	१३२५-१२ – (536.14)	
			समाणा 0.59	१-४७ – (0.59)	
			जाम्बूड़ा 340.94	८४७-३१ – (342.8)	
			पाडोड़ 576.64	१३१३-३५ – (531.7)	
			मनसर्वेड़ 1201.98	२९९४-७२ – (1211.66)	
		4553.22	योग	११३४६-१९ एकड़	4616.84 है0

परिशिष्ट (अ)

63.61 Hect.

वन-खण्ड मनियोल, रेन्ज या विस्तार उदयपुर, जिला उदयपुर की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है: —

क्रम सं०	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में: जरीब	कड़ियां	दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
१	२	३	४	५	६	७
१	१	२	१०६	२०		एप्रोग्जिमेट फोल्डिंग डांगरा जिनसे के सड़क-सड़क होकर मय लगोपेन के साथ
२	२	३	८४	५०		"
३	३	४	७		८० दक्षिण-पूर्वीय	१२७-००
४	४	५	३३	००	"	१४-००

१	२	३	४	५	६	७
८	८	८	१८	००	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय	७२-००
९	९	९/१	१४	३०	सड़क सड़क मय खमोपेच के साथ	
१०	९/१	१०	२	७५	पूर्वीय	९७-००
११	१०	१०/१	१९	२०	दक्षिणीय	१७८-००
१२	१०/१	१०/२	२८	२०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१६२-००
१३	१०/२	१०/३	१८	२०	,,	१६३-००
१४	१०/३	१०/४	४१	००	दक्षिण-पूर्वीय	१४५-००
१५	१०/४	११	२२	०७	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
१६	११	१२	१४०	००	,,	
१७	१२	१३	४	१०	दक्षिण-पश्चिम-पश्चिमीय	२४२-००
१८	१३	१४	१६	५०	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
१९	१४	१५	८२	३०	,,	
२०	१५	१५/१	३२	८०	,,	
२१	१५/१	१६	७५	२०	,,	
२२	१६	१६/१	३१	३०	,,	
२३	१६/१	१७	२९	५०	,,	
२४	१७	१८	१०	८५	पश्चिमीय	२७०-००
२५	१८	१८/१	७	४०	उत्तर-पूर्वीय	५६-००
२६	१८/१	१८/२	३	५०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	१३-००
२७	१८/२	१८/३	२	५०	उत्तर-उत्तर पश्चिमीय	३४७-००
२८	१८/३	१८/४	६	६०	उत्तर-पश्चिम-पश्चिमीय	२६४-००
२९	१८/४	१८/५	३	६०	पश्चिमीय	२७०-००
३०	१८/५	१८/६	४	१०	दक्षिण-दक्षिण-पश्चिमीय	१९८-००
३१	१८/६	१९	३	४०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१६७-००
३२	१९	२०	७	३०	दक्षिण-पश्चिम-पश्चिमीय	२३९-००
३३	२०	२०/१	३२	२०	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
३४	२०/१	२१	९६	१०	,,	
३५	२१	२२	५	४०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	२२-००
३६	२२	२३	१३	००	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३२८-००
३७	२३	२३/१	१३	५०	उत्तर-पश्चिम-पश्चिमीय	३०३-००
३८	२३/१	२४	९	३०	उत्तर-पश्चिमीय	३१५-००
३९	२४	२५	११	८०	दक्षिण-दक्षिण-पश्चिमीय	२०७-००
४०	२५	२६	८३	६०	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
४१	२६	२७	१२	३५	उत्तरीय	४-००
४२	२७	२८	३८	५०	उत्तर-पश्चिमीय	३२१-००
४३	२८	२९	१४	१०	उत्तरीय	३५२-००
४४	२९	३०	२३	५०	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
४५	३०	३०/१	६	००	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	२८-००
४६	३०/१	३०/२	३	२०	उत्तरीय	३५४-००
४७	३०/२	३०/३	६	४०	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३४६-००
४८	३०/३	३०/४	१	८०	उत्तरीय	६-००
४९	३०/४	३१	५	००	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३३२-००
५०	३१	३१/१	४१	४०	सड़क-सड़क मय खमोपेच के साथ	
५१	३१/१	१	९६	००	,,	

नोट:—(१) जरीब से अभिप्राय ७६ फीट की जरीब से है, जिसमें १०० कड़ियां होती हैं।

फार्म जे. आई

(32)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या F 7(110) Rev/A/65 दिनांक 28-7- सन् 65

चूकि विज्ञप्ति संख्या F.34 (200) रेवेन्यू 63-12188 दिनांक 2-2-64 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों, निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं। अतः अब उक्त एक्ट की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि दिनांक ---- से प्रभाव में रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के आधीन है कि नीचे लिखे गांव अधिकार की संक्षिप्त सूची (1) में उल्लेखित सीमा तक ऐसे मौसमों में उक्त वन अधिकार रखते रहेंगे संक्षिप्त सूची (2) में उल्लेखित ऐसे गांवों में तथा ऐसे नियमों के आधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय २ पर निर्धारित किये जाय रियायतों का उपभोग करेंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजस्व शासन सचिव। राजस्थान सरकार जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	सराडा	धूणीवाला उर्फ चाटपुरीया	रेटपुरीया	434-00	
			बोरपुरा	1116-00	
			आलपुरीया	26-60	
			चाटपुर	1-87	
			करोड़िया		
				1582-47	

नकल की
अर्जुन...
मु. क्लिपा
पढा सत्य
अर्जुन शर्मा

सच्ची प्रतिलिपि
सहायक वन ... अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जयपुर, जुलाई २८, १९६५

संख्या एफ. ७ (११०) रा. क./६५:— चूंकि विज्ञप्ति संख्या एफ. ३४ (२००) रेवेन्यू/५३-१२१८८ दिनांक २-२-५४ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें, यदि हों, निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवास की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवासि कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक से प्रभाव में रखते हुए आरक्षित वन घोषित करती है, जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव अधिकार की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लिखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूची। २) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसम में उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायं रियायतों का उपभोग करेंगे।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
उदयपुर	सराड़ा	धूणीवाला उर्फ चाट-पुरिया	रेदगुरिया	४३६.००	
			वीरपुरा	१११५.००	
			लालपुरिया	२६.६०	
			चाटपुर करोड़िया	१.८७	
			योग....	१५८२.४७	

परिशिष्ट (अ)

वन-खण्ड धूणीवाला उर्फ चाटपुरिया, रेन्ज या विस्तार सलुम्बर, जिला उदयपुर की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	एप्रोग्जिमेट बीयरिंग (डिग्रियों में)
			जरीब	कड़ियां		
१	२	३	४	५	६	७
१	१	२	२४	००	सड़क-सड़क	—
२	२	३	२	३०	,,	—
३	३	४	३१	८९	जयसमन्द की पाल २ व सड़क १	—
४	४	५	१	६०	पूर्वीय	९०-००
५	५	६	३	२०	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३४०-००
६	६	७	३	९०	,,	३३९-००
७	७	८	४	००	उत्तरीय	३५४-००
						३५४-००

१	२	३	४	५	६	७
१३	१३	१४	१	००	दक्षिणीय	१८१-००
१४	१४	१५	१	२०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	३२-००
१५	१५	१६	४	००	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३४४-००
१६	१६	१७	७	००	,,	३३६-००
१७	१७	१८	१०	९०	,,	३३०-००
१८	१८	१९	३	०५	उत्तरीय	३१७-००
१९	१९	२०	१	७०	,,	३६०-००
२०	२०	२१	७	३०	उत्तर-पूर्वीय	४३-००
२१	२१	२२	४	९७	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय	७१-००
२२	२२	२३	४	४०	पूर्वीय	८२-००
२३	२३	२४	०	९०	उत्तरीय	३६०-००
२४	२४	२५	०	८०	उत्तर-पश्चिम-पश्चिमीय	३०१-००
२५	२५	२६	०	५०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	२३-००
२६	२६	२७	२	६०	,,	२३-००
२७	२७	२८	५	३०	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३४४-००
२८	२८	२९	६	१३	उत्तरीय	३५८-००
२९	२९	३०	२	१०	,,	१०-००
३०	३०	३१	५	६०	,,	२७-००
३१	३१	३२	७	८०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	१२४-००
३२	३२	३३	१	६०	दक्षिणीय	१७५-००
३३	३३	३४	१	००	दक्षिण-पश्चिमीय	२२ -००
३४	३४	३५	३	५०	दक्षिण-पूर्व-पूर्वीय	११५-००
३५	३५	३६	१	२०	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय	७८-००
३६	३६	३७	२	००	दक्षिण-पूर्वीय	१२१-००
३७	३७	३८	८	९०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१४८-००
३८	३८	३९	१	१७	,,	१६५-००
३९	३९	४०	१	९०	दक्षिण-पूर्वीय	१२४-००
४०	४०	४१	२	७०	,,	१२४-००
४१	४१	४२	३	८५	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१४८-००
४२	४२	४३	२	३०	दक्षिण-पूर्व-पूर्वीय	११४-००
४३	४३	४४	२	६०	,,	१०८-००
४४	४४	४५	१	४०	दक्षिण-पूर्वीय	१४३-००
४५	४५	४६	२	३०	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय	७५-००
४६	४६	४७	३	८०	दक्षिण-पूर्वीय	१४४-००
४७	४७	४८	३	२०	,,	१३१-००
४८	४८	४९	२	८०	,,	१२९-००
४९	४९	५०	१	२०	उत्तर-पूर्वीय	३५-००
५०	५०	५१	१	६०	उत्तर-पश्चिमीय	३०४-००
५१	५१	५२	१	८५	उत्तरीय	३९०-००
५२	५२	५३	१	८०	,,	१०-००
५३	५३	५४	२	६२	,,	३४९-००
५४	५४	५५	१	२०	पूर्वीय	९०-००
५५	५५	५६	३	३०	उत्तरीय	८-००
५६	५६	५७	२	०५	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	२९०-००
५७	५७	५८	०	९०	उत्तर-पश्चिमीय	३१७-००
५८	५८	५९	२	७५	उत्तरीय	३२५-००
५९	५९	६०	१	९७	,,	६६०-००
६०	६०	६१	१	६७	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३३०-००
६१	६१	६२	१	६०	,,	३१५-००

१	२	३	४	५	६	७
६६	६६	६७	२	८०	पूर्वीय	९०-००
६७	६७	६८	६	०५	दक्षिण दक्षिण-पूर्वीय	१४६-००
६८	६८	६९	२	९०	दक्षिण पूर्वीय	१२५-००
६९	६९	७०	१	८३	,,	१४२-००
७०	७०	७१	२	४०	,,	१४२-००
७१	७१	७२	१	४०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१४७-००
७२	७२	७३	११	२०	,,	१४७-००
७३	७३	७४	९	६०	दक्षिणीय	१६३-००
७४	७४	७५	४	३०	उत्तर-पूर्वीय	३६-००
७५	७५	७६	६	२०	दक्षिण पूर्व पूर्वीय	१२०-००
७६	७६	७७	१	४५	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१५४-००
७७	७७	७८	४	८०	दक्षिणीय	१६९-००
७८	७८	७९	५	४०	,,	१७२-००
७९	७९	८०	२	२०	दक्षिण-पूर्व-पूर्वीय	१२०-००
८०	८०	८१	३	१५	दक्षिण-पूर्वीय	१३१-००
८१	८१	८२	४	००	,,	१४५-००
८२	८२	८३	१	६०	उत्तर-पूर्वीय	४३-००
८३	८३	८४	५	२०	दक्षिण-पूर्व-पूर्वीय	१०३-००
८४	८४	८५	२	८०	पूर्वीय	९०-००
८५	८५	८६	१	८०	उत्तर-पूर्वीय	४३-००
८६	८६	८७	४	५०	दक्षिण-पूर्वीय	१३०-००
८७	८७	८८	९	४०	दक्षिणीय	१८४-००
८८	८८	८९	३	२५	दक्षिण-दक्षिण-पश्चिमीय	२१३-००
८९	८९	९०	४	००	पूर्वीय	९७-००
९०	९०	९१	८	७०	दक्षिण-पूर्वीय	१४४-००
९१	९१	९२	३८	५०	सरहद सड़क व उदयपुर से सलुम्बर	
९२	९२	९२/१	१६	४०	रास्ता व मय समोपेन के साथ	
९३	९२/१	९२/२	६	००	दक्षिणीय	१७०-००
९४	९२/२	९३	७	१०	दक्षिण-पूर्वीय	१४०-००
९५	९३	९३/१	४	३५	दक्षिण-पश्चिमीय	२२३-००
९६	९३/१	९३/२	४	७०	,,	२३६-००
९७	९३/२	९३/३	४	००	दक्षिण-पश्चिम-पश्चिमीय	२४२-००
९८	९३/३	९३/४	६	८०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१६०-००
९९	९३/४	९३/५	३	८०	दक्षिण-दक्षिण-पूर्वीय	१६५-००
[illegible]	९३/५	९३/६	४	२५	दक्षिणीय	[illegible]

१	२	३	४	५	६	७
१०३	९४	९४/१	१४	००	सड़क उदयपुर से सलुम्बर मय खमोंपेच के साथ	
१०४	९४/१	९४/२	२	६०	उत्तर-उत्तर-पूर्वीय	२०-००
१०५	९४/२	९४/३	३	४०	उत्तर-उत्तर-पश्चिमीय	३३४-००
१०६	९४/३	९४/४	३	६०	दक्षिण-पश्चिमीय	२३३-००
१०७	९४/४	९५	२२	००	सड़क २ उदयपुर से सलुम्बर मय खमोपेच के साथ	
१०८	९५	९६	१२०	५०	"	
१०९	९६	१	२४	४०	"	

नोटः—(१) जरीब से अभिप्राय ७६ फीट की जरीब से है, जिसमें १०० कड़ियां होती हैं।

(२) यहां दिये गये माप से अभिप्राय धरातल के सतह से है।

(३) खाना नं० ७ के खाने में एप्रोक्जिमेट बीयरिंग्ज दर्ज किये गये हैं।